न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम गौतमबुद्धनगर।
यू0पी0जी0बी0 010134742018
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–6255/2018

विशू उर्फ स्वामी पुत्र सुरेशचंद राजपूत, निवासी मालती नगर, थाना कोतवाली बिजनौर, जिला बिजनौर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

अन्तर्गत धारा–406,420,120बी भा0द0सं0
थाना– सै0 20 नोएडा
जिला– गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0 संख्या–421/2017

आदेश/14.02.2019

यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त विशू उर्फ स्वामी की ओर से थाना–सै0 20 नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित अपराध संख्या–421/2017 धारा 406, 420, 120बी भा0द0सं0 के मामले में प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में सुरेशचंद राजपूत का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नही है। अभियुक्त का जमानत खारिजा आदेश न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर दिनांक 6.11.2018 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गयी है।

अभियोजन कहानी के अनुसार इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी ओ0पी0 वाजपेयी ने इस आधार पर दर्ज करायी गयी है कि वह 76 वर्षीय बुजुर्ग नागरिक है और देहात क्षेत्र से आता है। उसके पिताजी एक किसान थे। उसने अपना कैरियर टाटा स्टील से शुरू किया था और वर्ष 1970 में टाटा स्टील को ज्वाइंन किया था। वह इसके बाद ग्रेटर नोएडा टाटा स्टील ऑफिसर कालौनी में मकान बनाकर रहने लगा। उसका सम्पर्क प्रीमिया प्रोजेक्ट लि0 के वाईस प्रैसीडेन्ट श्री अरूण सिंह उक्त अरूण सिंह की सिफारिश पर उसकी बात एक प्लाट खरीदने की हुई। उसने एक 300 स्कावयर फिट की दुकान 21 लाख 70 हजार रूपये में 28.1.14 प्लाट नं0 201 नोलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा पश्चिम को लेने का तय किया जिसका एक एग्रीमेन्ट तैयार किया गया। एक एलाटमेन्ट लैटर दिनांक 28.2.14 स्पेसीफिक यूनिट 25.2.14 नं0 411 चतुर्थ फ्लोर टावर नं0 ए का अलोट किया गया था। उसके द्वारा दिनांक 28.1.14 को अंकन 2 लाख रूपये रूपये का चैक दिया। दिनांक 17.2.15 को 9,19,557.50/रु0 का चैक दिया गया जिसे प्रीमिया क0 द्वारा कैश किया गया। पुनः उसने दिनांक 18.12.15 को अंकन 3,59,178.90/रु0 का चैक, दिनांक 18.12.15 को 2 लाख पॉच हजार पॉच सौ रूपये का चैक, दिनांक 22.12.15 को 5 लाख 64 हजार रूपये का चैक दिया। इस प्रकार उसके द्वारा कुल 16 लाख 94 हजार, 3 सौ छत्तीस रूपये 70 पैसे प्रीमिया कम्पनी को अदा किये किन्तु कम्पनी के कार्यालय में उक्त पैसा जमा नही किया गया। उसके बिना निर्माण के सर्विस टैक्स आदि भी दिया गया। अभियुक्त व उसके साथ संपर्क करने पर नहीं मिले इस प्रकार प्रीमियम कम्पनी के अधिकारियो व कर्मचारीगण द्वारा धोखा देकर उसका रूपया हड़प लिया है।

अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है, झूंठा व रंजिशन फॅसाया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन वर्ष के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त एफ0आई0 आर0 में नामित नहीं है तथा उसके द्वारा कोई भी सदोष लाभ प्राप्त नहीं किया गया है न ही उसने किसी भी व्यक्ति को सदोष हानि पहुॅचाई है न ही उसने किसी के साथ कोई अमानत में ख्यानत की है, न ही उसके द्वारा किसी भी अपराध का कोई षडयंत्र रचा है। आवेदक/अभियुक्त की बहन लक्ष्मी उपरोक्त मु0अ0सं0 में अभियुक्त है तथा पुलिस उसे गिरफ्तार करने में असफल रही है उसी हताश में पुलिस द्वारा उसको किसी अन्य सह अभियुक्त के बयानों में नाम दर्ज कर अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त की बहन लक्ष्मी द्वारा उसके परिवार की सहमति के बगैर एक विजातीय व्यक्ति से विवाह कर लिया गया था जिसके विरोध स्वरूप आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवार के लोगो ने लक्ष्मी से अपने समस्त सम्बन्ध समाप्त कर लिये थे। आवेदक/अभियुक्त की मौके से गिरफ्तारी नही है और उससे कथित बरामदगी का कोई जन साक्षी नहीं है।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि0) की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि0) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रीमिया प्रोजेक्ट लिमिटेड कम्पनी से इस मामले के सभी अभियुक्तगण जुडे हुए है। केस डायरी में इस आशय का भी साक्ष्य संकलित किया गया है कि प्रीमिया के नाम से कई कम्पनियॉ चलायी जा रही है जो वास्तव में नुमायशी कम्पनियॉ है। वस्तुतः फर्जी कम्पनियों के माध्यम से अभियुक्त तथा अन्य सह अभियुक्तो ने मिलकर भोले भाले लोगो को बहला फुसलाकर उनसे पैसा ऐठ कर उन्हें भवन और दूकान इत्यादि बनाकर देने का लालच दे कर उनसे करोडो रूपये हड़प लिया था। विवेचना के दौरान अनेक पीडित व्यक्तियों के बयान विवेचक द्वारा अंकित किये गये है जिन्होंने यह स्पष्ट कथन किया है कि कम्पनी के लोग ऑफिस बंद करके भाग गये हे और उन्होंने जनता का करोडो रूपया हड़प लिया है। विवेचना में इस आशय का भी साक्ष्य संकलित किया गया है कि वर्तमान अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तो के साथ मिलकर क्रेतागण को प्रलोभन दे कर और एश्योर रिर्टन देने का झांसा देकर और षडयंत्र कर उसके साथ ठगी की है और उनका पैसा हड़प लिया है। सह अभियुक्तगण चरन जीत सिंह, अमित सोमल व नताशा के जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किए जा चुके है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियो को देखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि जनता की गाढ़ी कमाई के साथ अभियुक्त और उसकी कम्पनी द्वारा धोखा धडी की गयी है और करोडो रूपया हडप कर लिया गया है, मेरी दृष्टि में बिना प्रकरण के गुण—दोष पर विचार व्यक्त किये अभियुक्त के कदापि जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विशू उर्फ स्वामी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनु0जा0/अनु0ज0जा0 (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, गौतमबुद्धनगर।